कि देश में खाद्य तेलों की मांग व आपूर्ति के बीच अन्तर है। इसके लिए कुछ कारण आबादी में वृद्धि होने की वजह में वृद्धि होना तथा लोगों का बढ़ता हुआ जीवन स्तर है। कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में खाद्य तेलों की मांग को पूरा करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक खाद्य तिलहनों की 230 लाख मी० टन मात्रा का उत्पादन करना अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश में गोदामों और भाण्डागारों की कमी

803. **प्रो० राम बख्श सिंह वर्मा : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनकि वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के भंडारण के लिए उत्तर प्रदेश में पर्याप्त गोदाम और भांडागार उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भंडागारों और गोदामों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार, संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों में गोदामो का निर्माण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देती है ।

दिल्ली में गोदामों की कमी

804. **प्रो० राम बख्श सिंह वर्मा : क्या नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नागरिक आपूर्ति विभाग के गोदामों की भारी कमी है और गोदामों के दूर-दूर होने के कारण विभाग को परिवहन का ज्यादा खर्च उठाना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली सरकार ने नए गोदाम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली सरकार ने साहिबाबाद और लोनी में गोदामों के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं। दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पास दिल्ली में केवल तीन गोदाम हैं । तथापि, खाद्यान्न क्योंकि सार्वजनकि वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जाने वाली वस्तुओं का एक बड़ा भाग होते है। अत: इन्हे दिल्ली की उचित दर दुकानों को भारतीय खाद्य निगम, जिसके दिल्ली मे छ: गोदाम है, के गोदामों से जारी किया जाता है । यह कहना सही नही होगा कि दिल्ली में गोदामो की भारी कमी है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने गोदामो की अवस्थिति के कारण उच्च ढुलाई लागत की कोई घटना सूचित नही की है ।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने संपुष्ट सार्वजनकि वितरण प्रणाली के तहत लाये गए क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता मुहैय कराने के लिए केंद्रीय सरकार की योजना स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता की मांग की थी ।

(ग) 17.60 करोड़ रुपए की लागत से दो गोदामों के निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के प्रस्ताव पर वित्तीय सहायता हेतु विचार नहीं किया जा सका क्योंकि उक्त योजना स्कीम के अंतर्गत संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत न आने वाले क्षेत्रों में है गोदामों का निर्माण शामिल नहीं हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि भारतीय खाद्य निगम के कहने पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से लोनी स्थित गोदाम को दिल्ली के लिए एक फीडर गोदाम के रूप में घोषित करने तथा दिल्ली को खाद्यानों की बिक्री को केंद्रीय बिक्री कर से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया था इस प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया ज्ञात नहीं है।

उचित दर की दुकानों से खाद्यान्नों की आपूर्ति में गिरावट

805. **श्रीमती सरला माहेश्वरी : क्या नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले** और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान, उचित दर की दुकानों से की जाने वाली खाद्यान्नों की आपूर्ति की मात्रा में उससे पहले के वर्षों की तुलना में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उचित दर की दुकानों से की गई खाद्यान्नों की आपूर्ति में उससे पहले के वर्षों की तुलना में कितनी रही ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) और (ख) केंद्रीय सरकार, सार्वजनकि वितरण, प्रणाली के जरिए वितरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का थोक में आबंटन करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर खाद्यान्नों का वितरण और आपूर्ति उनकी स्वय की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी है। केंद्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खाद्यानों की निम्नलिखित मात्रा वितरित किए जाने की सूचना है :--

(लाख मी० टन)

89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95
139.12	144.84	105.12	163.95	144.72	89.93*

*दिसम्बर, 1994 तक)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यानों का गठन कई बातों, जैसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में खाद्यान्नों का उत्पादन, मौसम-जन्य मांग, खाद्यान्नों के खुले बाजार के मूल्य तथा खाद्यान्नों के केंद्रीय निर्गम मूल्य पर निर्भर करता है। देश के अधिकांश भागों में मुख्यत. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तिम खुदरा मूल्यों से थोड़े से ही अधिक मूल्यों पर खाद्यान्न आसानी से उपलब्ध होने के कारण वर्ष 1992--93 से 1994-95 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों के उठान में कमी आई है।

Non-official Committees on PDS in Gujarat

806. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pelased to state :

(a) whether there are non-official committees on the Public Distribution System in state of Gujarat;

(b) if so, when were they last reconstituted and what are their salient features; and

(c) the reasons for non-reconstitution of these committees for a long time?